

## न्यायालय अति० संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर०ए०एस० अति० संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 58/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/बांरा

दायरा दिनांक: 25.5.2017

अन्तर्गत धारा: 76 राज० भू राजस्व अधिनियम 1956

### उनवान

1. केदारलाल आत्मज गोपाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम मूण्डली हाल निवासी सरदार कॉलोनी अन्ता तहसील अन्ता जिला बांरा।

...अपीलाट

### बनाम

1. मोहनलाल आत्मज गोपाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम मूण्डली तहसील मांगरोल जिला बांरा।
2. श्रीमती छदामबाई पुत्री गोपाल पत्नी रामप्रसाद जाति कुम्हार नि० ग्राम डाबरबमोरी तह० दीगोदजिला कोटा।
3. श्रीमती बादाम बाई पुत्री गोपाल पत्नी रामनारायण जाति कुम्हार नि० खण्डगांव तह० दीगोद जिला कोटा।
4. जानकीबाई पुत्री गोपाल पत्नी रामकल्याण जाति कुम्हार निवासी लंका कॉलोनी बांरा तह० व जिला बांरा।
5. श्री संतोषबाई पुत्री गोपाल पत्नी रामभरोस जाति कुम्हार निवासी चन्द्राहेडी तहसील मांगरोल जिला बांरा।
6. श्रीमती सहजा बाई पुत्री गोपाल पत्नी गंगाराम जाति कुम्हार निवासी जयनगर तहसील अन्ता जिला बांरा।
7. मांगीलाल
8. बंशीलाल
9. आत्मज छीतरलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम मूण्डली तहसील मांगरोल जिला बांरा।
10. आनन्दीलाल आत्मज छीतरलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम मूण्डली हाल निवासी नीलकण्ठ कॉलोनी अन्ता तहसील अन्ता जिला बांरा।
11. श्रीमती आनन्दीबाई पुत्री छीतरलाल पत्नी नामालुम जाति कुम्हार नि० बूंदी बिजोरा तह० अन्ता जिला बांरा।
12. श्रीमती उर्फ आत्मज धूलीलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम मूण्डली तहसील मांगरोल जिला बांरा।
13. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक कोटा।

...रेस्पोडेन्ट



उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलार्थी  
श्री जगदीश नन्दवाना अभिभाषक रेस्पो०

### निर्णय

दिनांक 7.3.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बांरा जिला बांरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या-17/2015 उनवान मोहनलाल बनाम केदारलाल आदि मे पारित निर्णय दिनांक 17.4.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज० भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार बांरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.5.2005 व तस्दीकी इन्तकाल सं० 249 दिनांक 8.7.2005 वाके ग्राम सांकली से अप्रसन्न होकर मोहनलाल द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर बांरा मे अपील पेश कर इन्तकाल सं० 249 नल एण्ड वोर्ड घोषित कर निरस्त करने हेतु निवेदन किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 17.4.2017 को अपील अपीलाट आशिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार बांरा द्वारा पारित वसीयती आदेश दिनांक 4.5.2005 एवं तस्दीकी

नामान्तरकरण संख्या 249 दिनांक 8.7.2005 ग्राम सांकली निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार बांरा को अपीलान्ट व रेस्पो0 एवं सभी वैधानिक वारिसान को सुनवाई, जवाबदेही व साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर तहरीरी अनरजिस्टर्ड वसीयत की प्रमाणिकता की जांच कर कानूनी प्रावधानों के संप्रेषण में गुणावगुण के आधार पर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट केदारलाल द्वारा अपील न्यायालय हाजा में पेश कर वर्णित किया कि वसीयत दिनांक 2.10.2010 के आधार पर विवादित आराजी अपीलान्ट के खाते दर्ज की जाने का दिनांक 4.5.2005 को सही रूप से नियमानुसार आदेश पारित किया गया व उसके अनुसार नामा0 सं0 249 ग्राम सांकली अपीलान्ट के पक्ष में सही रूप से तस्दीक किया गया था जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निरस्त करने का आदेश पारित कर त्रुटि की है। अपील में यह भी वर्णित किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अवधि बाधित अपील को धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र को निर्णित किये बिना व डिले कन्डोन किये बिना ही गुणावगुण के आधार पर स्वीकार करने में त्रुटि की है। अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा तारीखी 2.10.2010 वसीयतकर्ता का अन्तिम वसीयतनामा था। तथाकथित अपंजीकृत भागीदारी, इकरारनामा के दस्तावेज से रेस्पो0 नम्बर 1 को कोई हक हकूक प्राप्त नहीं होते हैं इस तथ्य पर गौर किये बिना ही प्रथम अपीलीय न्यायालय ने हुक्म जेरअपील प्रदान करने में त्रुटि की है। उक्त दस्तावेज में भी ग्राम सांकली की भूमि अपीलान्ट को दिये जाने का उल्लेख है। विवादित भूमि पुश्तेनी भूमि नहीं है विकल्प में पुश्तेनी जायदाद की जांच नामान्तरकरण की सरसरी कार्यवाही में कानूनन नहीं की जा सकती है इस कारण भी हुक्म जेरअपील निरस्तनीय है। खातेदार गोपाली की चार पुत्रियों एवं अपीलान्ट की बहिनों ने भी गोपाली द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित वसीयत को स्वीकार किया है। रेस्पो0 क्रम-1 द्वारा आदेश दिनांक 4.5.2005 एवं नामा0 सं0 249 दिनांक 8.7.2005 ग्राम सांकली के विरुद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की गई है जो कानूनन मेन्टेनेबल नहीं थी कानून के अन्तर्गत पृथक पृथक आदेश एवं नामान्तरकरण के विरुद्ध अलग 2 अपील की जानी चाहिये थी इस कारण रेस्पो0 क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होते हुये भी स्वीकार करने में त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर हुक्म जेरअपील निरस्त किया जावे तथा तहसीलदार बांरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.5.2005 एवं नामा0 सं0 249 दिनांक 8.7.2005 वाके ग्राम सांकली यथावत रखे जाने की इस्तदुआ की गई।

- 2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण में बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं रेस्पो0 सुनी गई।
- 3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि तहसीलदार बांरा द्वारा वसीयती आदेश दिनांक 4.5.2005 एवं तस्दीकी नामा0 249 दिनांक 8.7.2005 ग्राम सांकली के विरुद्ध रेस्पो0 क्रम-1 मोहनलाल द्वारा अपील अधीनस्थ न्यायालय में की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17.4.2014 को आंशिक रूप से स्वीकार कर उक्त आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण तहसीलदार बांरा को अपीलान्ट व रेस्पो0 एवं सभी वैधानिक वारिसान को सुनवाई, जवाबदेही व साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर तहरीरी अनरजिस्टर्ड वसीयत की प्रमाणिकता की जांच कर कानूनी प्रावधानों के संप्रेषण में गुणावगुण के आधार पर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करने हेतु रिमांड करने में अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है क्योंकि रेस्पो0 क्रम-1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील बाधित थी अधीनस्थ न्यायालय ने अवधि बाधित अपील को धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र को निर्णित किये बिना व डिले कन्डोन किये बिना ही गुणावगुण के आधार पर आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को रिमांड करने में विधिक त्रुटि की है। आलोच्य निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय ने लिमिटेशन के संबंध में अपनी कोई फाईन्डिंग नहीं है। विधि अनुसार अपील का गुणावगुण पर विचार करने से पहले मियाद का बिन्दू निस्तारित करना कानून आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय मियाद के बिन्दू को निस्तारित किये बिना पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 17.4.17 विधिसम्मत नहीं होने से प्रथम दृष्टया अपास्त किये जाने योग्य है। अपने तर्क के समर्थन में आरआरटी 2016 (1) पेज 330, आरआरटी 2018 (1) पेज 485, आरआरटी 2018 (II) पेज 879 का न्यायिक उद्धरण पेश किया।

- 4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में अपीलान्ट व रेस्पो0 तथा सभी वैधानिक वारिसान को सुनवाई व जवाबदेही तथा साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर व तहरीरी अनरजिस्टर्ड वसीयत की प्रमाणिकता की जांच कर कानूनी प्रावधानों के संप्रेषण में गुणावगुण के आधार पर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावै।
- 5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन प्रकरण प्रस्तुत न्यायिक नजीरों पर गोर करते हुये बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। प्रकरण में उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पो0 कम-1 मोहनलाल द्वारा तहसीलदार बारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.5.2005 व तस्दीकी इन्तकाल सं0 249 दिनांक 8.7.2005 वाके ग्राम सांकली से अप्रसन्न होकर अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बारा में पेश कर इन्तकाल सं0 249 निरस्त कर अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करने की इस्तदुआ की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बारां निर्णय दिनांक 17.4.2017 से अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार बारा द्वारा पारित वसीयती आदेश दिनांक 4.5.2005 एवं तस्दीकी नामान्तरकरण संख्या 249 दिनांक 8.7.2005 ग्राम सांकली निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार बारा को अपीलान्ट व रेस्पो0 एवं सभी वैधानिक वारिसान को सुनवाई, जवाबदेही व साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर तहरीरी अनरजिस्टर्ड वसीयत की प्रमाणिकता की जांच कर कानूनी प्रावधानों के संप्रेषण में गुणावगुण के आधार पर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलान्ट का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो0 कम-1 मोहनलाल द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर थी तथा डिले कन्डोन हेतु उसके द्वारा लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण व डिले कन्डोन किये बिना ही अपील को गुणावगुण के आधार पर निर्णित कर विधिक त्रुटि की है। अपने तर्क के समर्थन में आरआरटी 2016 (1) पेज 330, आरआरटी 2018 (1) पेज 485, आरआरटी 2018 (II) पेज 879 का न्यायिक उद्धरण भी पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं जेरअपील निर्णय के अवलोकन से अपीलान्ट के उक्त तर्क की पुष्टि होती है। प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर बारां ने अपील प्रकरण में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निर्णय किये बिना ही अपील का गुणावगुण के आधार पर आलौच्य निर्णय दिनांक 17.4.2017 पारित कर कर विधिक त्रुटि की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय को अपील का गुणावगुण के आधार पर विचार करने से पूर्व मियाद के बिन्दू का निस्तारण करना न्यायोचित था। अधीनस्थ न्यायालय के आलौच्य निर्णय में उक्त विधिक तथ्यों का अभाव रहा है ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 17.4.2017 को विधिसम्मत नहीं ठहराया जा सकता। लिहाजा प्रश्नगत अपील प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर विचार किये बिना, इसी स्टेज पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 17.4.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण प्रथम अपीलीय न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपील प्रकरण में गुणावगुण पर विचार कर निर्णय पारित करने से पूर्व विधि अनुसार प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण कर प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित करे।
- 6 निर्णय आज दिनांक 7.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

( प्रियंका गोस्वामी )  
अति० संभागीय आयुक्त

पति० कोटा